सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2025

छ०ग० राज्य बनाम सोमेश चक्रधारी व अन्य

Witness No........07.......for.......अभियोजन साक्ष्य.......Deposition taken this

......12....day of......08.......2026   witness's apparent age.......28 वर्ष....

States on affirmation/My name is.............अहिल्या पटेल...........

W/of .....रमेश पटेल......Occupation ....सफाई कर्मी...........

address..........टिकरापारा कांकेर, जिला उ०ब० कांकेर, छ०ग०.............

समयः 3.00 बजे से ।

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ईश्वर लाल साहू लोक अभियोजक वास्ते छ. ग. राज्य ।</u>

(1) मैं, न्यायालय उपस्थित आरोपी शोमेश चक्रधारी व दीपक साहू को जानती पहचानती हूं।

(2) आज से लगभग 01 वर्ष पूर्व की घटना है । मेरी बहन आरती नाग मुझे मोबाईल से फोन लगाकर बतायी कि हमारे छोटेभाई शिव बाल्मिकी का हत्या हो गया है तथा उसे शासकीय कोमलदेव अस्पताल कांकेर में ले गये हैं, उसके बताने पर मैं शासकीय कोमलेदव अस्पताल जाकर देखी, उसके सीना, छाती गर्दन में चोट के निशान थे, जिसमें से खून निकल रहा था तथा उसकी मृत्यु हो गयी थी, जिसे लिटाकर रखे थे, वहां पर उपस्थित सुनील ठाकुर एक और व्यक्ति था जिसका नाम आज मुझे याद नहीं है उन लोगो ने मुझे बताया कि "बरदेभाठा में आरोपी सोमेश चक्रधारी और तुषार उर्फ टिन्नू तथा उनके एक और साथी जिनका नाम मुझे याद नहीं है के द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाया गया है" । उसके पश्चात अमन बाल्मिकी, मेरी बहन आरती नाग के साथ मैं भी पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने गयी थी । पुलिस थाना कांकेर में मेरे भाई अमन बाल्मिकी ने रिपोर्ट दर्ज् कराया था । पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज् किये थे ।

इसी स्तर पर लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी मानकर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का निवेदन किया। साक्षी पुलिस कथन के तथ्य को देखते हुए लोक अभियोजक का निवेदन स्वीकार किया जाकर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

(3) साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र०पी०– 22** के अ से अ भाग पर अंश "नगर पालिका कांकेर में सफाई कर्मचारी का काम करती हूं..मेरे छोटे भाई के गले में वार कर हत्या किये है जिससे मेरे छोटे भाई शिव बाल्मिकी की मृत्यु हुई है" को पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा कथन देना स्वीकार की । प्र०पी०– 22 में चस्पित छायाचित्र मेरा है, पुलिस के मांगे जाने पर मैंने दी थी ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तुकेश्वर राणा चीफ एल० ए०डी०सी० अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।</u>

(04) यह कहना सही है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण मेरे पारा मोहल्ले के नहीं है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को क्या आप नाम से जानती पहचानती हैं, इस पर साक्षी का कहना है कि हाँ दोनो को नाम से जानती व पहचानती हूं । मुझे इस बात कि आरोपी दीपक साहू का बस स्टैण्ड के आस–पास कबीर लोक सेवा केन्द्र चलाता है एवं आरोपी सोमेश चक्रधारी पुट्टी लगाने का कार्य करता है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आरोपी दीपक साहू व सोमेश चक्रधारी से क्या कभी किसी बात को लेकर आपके या आपके परिवार वालो के साथ कभी कोई वाद विवाद हुआ था, इस पर साक्षी का कहना है कि हम लोग साथ नहीं हुआ था, मेरे भाई शिव बाल्मिकी के साथ हुआ होगा तो मुझे जानकारी नहीं है और न हीं मृतक शिव बाल्मिकी ने हमें बताया था ।

(05) यह कहना सहीं है मैंने अपने भाई के साथ वाद विवाद या घटना होते हुए नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मैं घटना होते नहीं देखी हूं इस कारण मैं नहीं बता सकती कि मेरे भाई के साथ किसने घटना कारित किया व उसकी मृत्यु कैसे हुई । यह कहना सहीं है कि

मेरे भाई के साथ कहां पर और क्या घटना हुई थी वहां पर मैं नहीं गयी थी मैं आरती के फोन करने पर हॉस्पिटल गयी थी ।

(06) यह कहना सहीं है कि कथित तौर पर मेरे द्वारा प्र०पी०–22 के कथन मुख्य परीक्षण के दौरान देना बता रही हूं उक्त कथन में आरोपी दीपक साहू के द्वारा भी मैंने घटना कारित करना बतायी हू,यदि मेरे पुलिस कथन प्र०पी०–21 में न लिखी हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती ।

(07) यह कहना गलत है कि मैं अपने भाई के बताये अनुसार आज बता रही हूं । यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा प्र०पी०– 22 का कथन देना बता रही हूं किन्तु प्र०पी०–22 के अ से अ भाग का कथन मैं पढकर नहीं देखी थी और न ही पुलिस ने मुझे पढकर नहीं बताया था । मैंने कथित तौर पर प्र०पी०–22 का पुलिस कथन देना बता रही हूं किन्तु मेरे द्वारा कथन देते समय ब से ब का अंश "दिनांक 28.07.2025 को शाम करीबन 07.15 बजे मुझे मेरा छोटा भाई अमन बाल्मिकी ने फोन करके बताया कि..................................धारदार हथियार से मेरे भाई शिव बाल्मिकी के गले में वार कर दिया है का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैंने ऐसा कथन नहीं दिया था, यदि पुलिस वाले पुलिस कथन प्र०पी०–22 के ब से ब भाग में लिखे हो तो मैं कारण नहीं बता सकती । यह कहना गलत है कि आरोपीगण को फसाने के लिए असत्य कथन कर रही हूं ।

समय 03.35 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।
सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित
सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

SANJEEV KUMAR TAMAK
Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK
Date: 2026.08.12 16:33:50 +0530

Witness No........06.......for.......अभियोजन साक्ष्य.......Deposition taken this

......12....day of......08.......2026 witness's apparent age.....31 वर्ष.......

States on affirmation/My name is..........आरती नाग.........

W/of ......संदीप नाग..........Occupation ....सफाई कर्मी........

address..........टिकरापारा कांकेर, जिला उ०ब० कांकेर, छ०ग०...........

समयः 1.25 बजे से ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ईश्वर लाल साहू लोक अभियोजक वास्ते छ. ग. राज्य ।

(1) मैं, न्यायालय उपस्थित आरोपी शोमेश चक्रधारी व दीपक साहू को जानती पहचानती हूं, जो एम०जी० वार्ड कांकेर के निवासी हैं।

(2) मृतक मेरा छोटा भाई था । घटना 28.07.2025 की शाम की है । मेरा भाई अमन कुमार बाल्मिकी ने मुझे फोन पर बताया कि शासकीय कोमलदेव अस्पताल में जल्दी से पहुंचो हमारे छोटे भाई शिव बाल्मिकी का हत्या हो गया है सूचना पाकर मैं तुरंत शासकीय कोमलदेव अस्पताल कांकेर गयी थी । अस्पताल में मुझे मेरे भाई अमन कुमार तथा आवेश रजा ने बताया कि शिव बाल्मिकी को सोमेश चक्रधारी तुषार साहू, दीपक साहू ने चाकू से मारकर हत्या किया है । बाद में मैं शिव बाल्मिकी को अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में रखे थे, जहां उसे देखी मृत हालत में पडा था ।

(3) तत्पश्चात पुलिस थाना कांकेर में अमन बाल्मिकी एवं अहिल्या पटेल के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज् कराये थे । पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किया था ।

इसी स्तर पर लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी मानकर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का निवेदन किया। साक्षी पुलिस कथन के तथ्य को देखते हुए लोक अभियोजक का निवेदन स्वीकार किया जाकर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

(4) साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र०पी०– 21** के अ से अ भाग पर अंश "नगर पालिका कांकेर में सफाई कर्मचारी का काम करती हूं..मेरे छोटे भाई के गले में वार कर हत्या किये है जिससे मेरे छोटे भाई शिव बाल्मिकी की मृत्यु हुई है" को पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा कथन देना स्वीकार किया । प्र०पी०– 21 में चस्पित छायाचित्र मेरा है पुलिस के मांगे जाने पर मैंने दी थी ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तुकेश्वर राणा चीफ एल० ए०डी०सी० अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

(05) यह कहना सही है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण मेरे पारा मोहल्ले के नहीं है। साक्षी का स्वतः कहना है कि एम०जी० वार्ड के हैं । मुझे इस बात कि आरोपी दीपक साहू का बस स्टैण्ड के आसपास कबीर लोक सेवा केन्द्र चलाता है एवं आरोपी सोमेश चक्रधारी पुट्टी लगाने का कार्य करता है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आरोपी दीपक साहू व सोमेश चक्रधारी से क्या कभी किसी बात को लेकर आपके या आपके परिवार वालो के साथ कभी कोई वाद विवाद हुआ था, इस पर साक्षी का कहना है कि हम लोग साथ नहीं हुआ था, मेरे भाई शिव बाल्मिकी के साथ हुआ होगा तो मुझे जानकारी नहीं है।

(06) यह कहना सही है कि मेरा भाई मृतक शिव बाल्मिकी कभी मुझे नहीं बताया था कि आरोपीगण के साथ कभी वाद विवाद नहीं हुआ है । यह कहना सहीं है मैंने अपने भाई के साथ वाद विवाद या घटना होते हुए नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मैं घटना होते नहीं देखी हूं इस कारण मैं नहीं बता सकती कि मेरे भाई के साथ किसने घटना कारित किया व उसकी मृत्यु कैसे हुई । साक्षी का स्वतः कहना है कि जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन आरोपी सोमेश चक्रधारी के द्वारा मृतक को बार बार फोन करके बुलाया जा रहा था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने कथित तौर पर मोबाईल से बार बार फोन करना बता रही है क्या आरोपी सोमेश चक्रधारी ने आपके पास फोन किया था, इस पर साक्षी का कहना है कि मेरे भाई के पास फोन किया था ।

(07) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपका भाई मृतक का मोबाईल का फोन आपके पास रहता था या आपके भाई के पास रहता था, इस पर साक्षी का कहना है कि मेरे भाई के पास रहता था। यह कहना सहीं है कि कथित तौर पर मेरे द्वारा प्र०पी०–21 के कथन मुख्य परीक्षण के दौरान देना बता रही हूं उक्त कथन में आरोपी दीपक साहू के द्वारा भी मैंने घटना कारित करना बतायी हू,यदि मेरे पुलिस कथन प्र०पी०–21 में न लिखी हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती। साक्षी का स्वतः कहना है कि जल्दबाजी के कारण आरोपी दीपक साहू का नाम हम लोग नहीं बता पाये।

(08) यह कहना गलत है कि मैं अपने भाई के बताये अनुसार आज बता रही हूं। मैं कक्षा 9वी तक पढी लिखी हूं। यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा प्र०पी०– 21 का कथन देना बता रही हूं किन्तु प्र०पी०–21 के अ से अ भाग का कथन मैं पढकर नहीं देखी थी और न ही पुलिस ने मुझे पढकर नहीं बताया था। मैंने कथित तौर पर प्र०पी०–21 का पुलिस कथन देना बता रही हूं किन्तु मेरे द्वारा कथन देते समय ब से ब का अंश "दिनांक 28.07.2025 को शाम करीबन 07.15 बजे मुझे मेरा छोटा भाई अमन बाल्मिकी ने फोन करके बताया कि...................................धारदार हथियार से मेरे भाई शिव बाल्मिकी के गले में वार कर दिया है का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैंने ऐसा कथन नहीं दिया था यह कहना गलत है कि आरोपीगण को फसाने के लिए असत्य कथन कर रही हूं।

समय 01.20 बजे तक।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।
सहीं/–

मेरे निर्देशन पर टंकित
सहीं/–

(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

SANJEEV KUMAR TAMAK
Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK
Date: 2026.08.12 16:34:52 +0530

सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2025
छ०ग० राज्य बनाम सोमेश चक्रधारी व अन्य

Witness No........05.......for.......अभियोजन साक्ष्य.......Deposition taken this

......12....day of......08.......2026 witness's apparent age.....30 वर्ष.......

States on affirmation/My name is........अमन कुमार बाल्मिकी...........

S/of ....स्व० तिजूराम बाल्मिकी......Occupation ....सफाई कर्मी......

address..............टिकरापरा कांकेर, जिला कांकेर छ०ग०................

समयः 12.00 बजे से ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ईश्वर लाल साहू लोक अभियोजक वास्ते छ. ग. राज्य ।

(1) मैं, न्यायालय उपस्थित आरोपी शोमेश चक्रधारी,दीपक साहू को जानता पहचानता हूं, जो एम०जी० वार्ड कांकेर के निवासी हैं।

(2) मृतक मेरा छोटा भाई था । घटना 28.07.2025 की शाम की है । लगभग 07.00 बजे मुझे आटो चालक आवेश खान उसने मुझे मोबाईल फोन से बताया कि तुम जल्दी से शासकीय कोमलदेव अस्पताल कांकेर में आओ तुम्हारे भाई का हत्या हो गया है, तब मैं सूचना पाकर तत्काल कोमलदेव अस्पताल गया था, वहां मैं आवेश खान एवं सुनिल ठाकुर से मुलाकात किया, तब उन लोगों ने मुझे बताये कि बरदेभाठा में कार सेलून के पास तुम्हारे भाई को आरोपी सोमेश चक्रधारी, तुषार साहू, दीपक साहू ने चाकू से मारकर हत्या किया है । बाद में मैं अपने छोटे बाई शिव कुमार बाल्मिकी को हॉस्पिटल के अंदर लेटाकर रखे थे, जो मृत हालत में था तथा उसके शरीर में गला, छाती में तीन जगह चोट लगा था, जहां से खून बह रहा था । उसके पश्चात मैं अपनी बहन आरती नाग को मोबाईल से घटना की सूचना दिया था। उसके पश्चात मैं पुलिस थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराया था,प्रथम सूचना पत्र **प्र०पी०– 14** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

(3) पुलिस ने मेरे बताये अनुसार उपरोक्त प्रथम सूचना पत्र आरोपीगण के विरूद्ध धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत पंजीबद्ध किया था । पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान

दर्ज किया था । पुलिस जांच में गयी थी प्रकरण में संलग्न मौका नक्शा **प्र०पी०–15** एवं **प्र०पी०–16** है, जिनके अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर है तथा जब पुलिस ने कार्यवाही में भाग लेने नोटिस धारा 195 BNSS के तहत दिया था, जो **प्र०पी०– 17** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । शव पंचनामा (नक्शा पचायतनामा) **प्र०पी०–18** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उसके पश्चात मैंने अपने भाई मृतक शिव बाल्मिकी के शव को अंतिम क्रियाकर्म हेतु सुपुर्दनामा में प्राप्त किया था, जो **प्र०पी०–19** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

इसी स्तर पर लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी मानकर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का निवेदन किया। साक्षी के मौका नक्शा, नोटिस, पंचनामा, शव सुपुर्दनामा के कथन के तथ्य को देखते हुए लोक अभियोजक का निवेदन स्वीकार किया जाकर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

(4) यह कहना सही है कि दिनांक 29.07.2025 को शासकीय कोमलदेव अस्पताल कांकरे मरचुरी घर जाकर शिव बल्मिकी का शव रखा गया था । पुलिस ने नजरी नक्शा प्र०पी–15 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । यह कहना सहीं है कि उसी दिनांक को पुलिस वाले घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०–16 तैयार किये थे, जिसके अ से अ भाग पर मैने हस्ताक्षर किया है । यह कहना सहीं है कि पुलिस वालो ने दिनांक 29.07.2025 को मुझे कार्यवाही में भाग लेने प्र०पी–17 का नोटिस दिया था, जिसके अ से अ भाग पर मैने हस्ताक्षर किया था । तत्पश्चात पुलिस ने उसी दिनांक को नक्शा पंचायतनामा प्र०पी०–18 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । तत्पश्चात पुलिस ने मृतक के शव को कफन दफन हेतु सुपुर्दनामा में दिया था, जो प्र०पी०–19 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

(5) साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र०पी०– 20** के अ से अ भाग पर अंश "नगर पालिका कांकेर में सफाई कर्मचारी का काम करता हूं...मेरे छोटे भाई के गले में वार कर हत्या किये है

जिससे मेरे छोटे भाई शिव बाल्मिकी की मृत्यु हुई है" को पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा कथन देना स्वीकार किया । प्र०पी०– 20 में चस्पित छायाचित्र मेराहै पुलिस के मांगे जाने पर मैंने दिया था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तुकेश्वर राणा चीफ एल० ए०डी०सी० अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

(06) यह कहना सही है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण मेरे पारा मोहल्ले के नहीं है। यह कहना सही है कि आरोपी दीपक साहू का बस स्टैण्ड के आसपास कबीर लोक सेवा केन्द्र चलाता है एवं आरोपी सोमेश चक्रधारी पुट्टी लगाने का कार्य करता है, इसलिए जानता पहचानता हूं । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आरोपी दीपक साहू व सुरेश चक्रधारी से क्या कभी किसी बात को लेकर आपके या आपके परिवार वालो के साथ कभी कोई वाद विवाद हुआ था, इस पर साक्षी का कहना है कि कभी नहीं हुआ था ।

(07) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपके घर से बरदेभाठा कार सेलून के बाजू खाली जगह की दूरी कितनी होगी, इस पर साक्षी का कहना है कि लगभग 02 किलोमीटर होगी । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि 02 किलोमीटर की दूरी पर यदि पैदल चलकर जाते है तो कितने देरी लगेगी, इस पर साक्षी का कहना है कि 20 मिनट लगेगी । मेरे पारा मोहल्ला से शांतिनगर की दूरी लगभग 01 किलोमीटर से कम होगी ।

(08) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपका भाई मृतक शिव बाल्मिकी घर से किसके साथ गया था, इस पर साक्षी का कहना है कि वह अकेले मोटर सायकल लेकर गया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि मोटर सायकल किसका था, इस पर साक्षी का कहना है कि वह मेरे माँ के नाम का है । यह कहना सही है कि जिस समय मेरे भाई को घर से निकलना बता रहा हूं, उस समय न्यायालय उपस्थित आरोपीगण आस–पास नहीं थे । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि कार सेलून के बगल में जो खाली जगह है वहां लोग सुबह शाम टहलने के लिए आते जाते रहते है, इस पर साक्षी का कहना है कि मैं नहीं बता सकता क्योकि मैं वहां कभी भी नहीं गया हूं ।

(09) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथित तौर पर आटो चालक आवेश रजा के द्वारा फोन करना बता रहे है उसे कैसे जानते है आप, इस पर साक्षी का कहना है कि काम करने के दौरान उससे परिचय हुआ तभी से जानता हूं । यह कहना गलत है कि आवेश रजा का मेरे घर आना जाना लगा रहता है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप कथित तौर पर आवेश रजा के द्वारा मोबाईल से फोन करना बता रहे है क्या आप उसका मोबाईल नंबर बता सकते है, इस पर साक्षी का कहना है कि मैं नहीं बता सकता ।

(10) यह कहना सही है कि मैं अपने भाई मृतक शिव बाल्मिकी के साथ आरोपीगणों को वाद विवाद लडाई झगडा करते नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि मैं अपने भाई मृतक के साथ घटना होते नहीं देखा हूं इस कारण मैं नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या घटना हुई थी व किसने उसके साथ घटना कारित किया है। यह कहना सही है कि जब मैं अस्पताल गया मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था ।

(11) यह कहना गलत है कि मैंने कथित तौर पर पुलिस को प्र०पी०–14 में मौखिक रिपोर्ट लिखाना मुख्य परीक्षण के दौरान बता रहा हूं उस दौरान मैंने पुलिस को "शिव बाल्मिकी को पुरानी रंजिश पर से सोमेश पांडे तुसार साहू उर्फ टिनू दोनो मिलकर एक राय होकर लडाई झगडा एवं मारपीट कर धारदार हथियार से मेरे छोटे भाई शिव बाल्मिकी के गले में वार कर हत्या किये हैं" नहीं बताया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि क्या आपने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराते समय आरोपी दीपक साहू के द्वारा मृतक से वाद विवाद कर हत्या करने के संबंध में बताया था, इस पर साक्षी का कहना है कि हाँ मैंने उक्त बातें पुलिस को बताया था यदि प्र०पी०–14 में दीपक साहू का नाम न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता ।

(12) यह कहना सही है कि पुलिस वाले को कथित तौर मैं प्र०पी–20 का बयान देना बता रहा हूं किन्तु उक्त बयान को न ही मैंने पढा था और न ही पुलिस वालो ने मुझे पढ़कर बताया था, इस कारण मैं नहीं बता सकता कि प्र०पी०–20 के पुलिस कथन में क्या क्या लिखा है । यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने प्र०पी–16 का मौका नक्शा मुझसे

पूछताछ कर मेरे सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं किया था । यह कहना सही है कि प्र०पी०–14 से लगायत प्र०पी०–19 तक के दस्तावेजों पर पुलिस वालो के कहने पर मैंने हस्ताक्षर किया था । यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझे हस्ताक्षर करने के संबंध में पढ़कर नहीं बताया था और न ही मैं स्वयं पढ़ा था, पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था ।

(13) यह कहना सहीं है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण का मेरे घर मे आना जाना नहीं था और न ही उनका मेरे साथ किसी प्रकार का दोस्ती था । साक्षी का स्वतः कहना है कि मेरे भाई के साथ उनका दोस्ती था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि कभी आपने आरोपीगण को अपने भाई मृतक शिव बाल्मिकी के साथ अपने घर आते जाते देखा है,इस पर साक्षी का कहना है कि नहीं देखा है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपीगण एवं मृतक के साथ वाद विवाद कर घटना करना कारित करने वाली बात बता रहा हूं, वह पुलिस वालो के बताये अनुसार बता रहा हूं । यह कहना गलत है कि आरोपीगण को फसाने के लिए असत्य आधारो पर कथन कर रहा हूं ।

समय 01.20 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।
सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित
सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

SANJEEV KUMAR TAMAK

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK
Date: 2026.08.12 16:34:08 +0530